अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

हकीमखान पुत्र इनायतखान जाति मुसलमान कायमखानी उम्र 57 वर्ष निवासी वार्ड नं. 28, अगुणा मोहल्ला, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) मो.नं. – 8094640221

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. तहसीलदार, तहसील चूरू प्रतिनिधि भू–धारक राजस्थान सरकार, चूरू
2. (डिलीट) हल्का पटवारी पटवार क्षेत्र कस्बा चूरू तहसील चूरू
3. (डिलीट) मुन्शी खां पुत्र इनायत खान जाति मुसलमान कायमखानी उम्र 59 वर्ष निवासी वार्ड नं. 28, अगुणा मोहल्ला, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. इनायतखान पुत्र रहमतखान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 28, अगुणा मोहल्ला, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मोबीनाबानो पुत्री भंवरूखां
6. रोशनीबानो पुत्री भंवरूखां
7. सुभानखां पुत्र भंवरूखां
8. सरवरबानो पुत्री भंवरूखां
9. हलीमा पत्नी भंवरूखां

} जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरू

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 472 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री जगदीश कस्वां व श्री वेदपाल कस्वां एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारों की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा ख.नं. 2534/805 तादादी 5.0586 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू में से वादी, प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 से 9 के खातेदारी हिस्सों की कृषि भूमि का खाता विभाजन किया जाकर निम्नानुसार अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी चूरू

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
1.	हलीमा पत्नी भंवरूखां, सुभानखां पुत्र भंवरूखां, मोबिनबानो, रोशनीबानो, सरवरबानो पुत्रियां भंवरूखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर ब.हि.ब. सा. खातेदार	2534/805 मी.	0.3963	बारानी	
2.	हकीमखान पुत्र इनायतखान जाति	2534/805	2.7527	बारानी	

	कायमखानी निवासी चूरू खातेदार	मी.			
3.	इनायतखान पुत्र रहमतखान जाति कायमखानी सा.दे. खातेदार	2534 / 805 मी.	1.6567	बारानी	
4.	हलीमा पत्नी भंवरू खां, सुभान खां पुत्र भवरू खां, मोबिनबानो, रोशनीबानो, सरवरबानो पुत्रियां भंवरूखां ब.हि.ब. 1 / 10 हिस्सा जाति कायमखानी निवासी बीनासर, हकीम खान पुत्र इनायतखान, इनायतखान पुत्र रहमत खान ब.हि.ब. 9 / 10 हिस्सा जाति कायमखानी निवासी चूरू खातेदार	2534 / 805 मी.	0.2529	गै.मु. रास्ता	

तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि यह जांच करें कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो, भूमि समस्त प्रकार के ऋण भार से मुक्त हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16, विशेष आवंटन / सीलिंग अधिनियम से प्रभावित नहीं हो, भूमि गैर खातेदारी / रकबा राज ना हो। बाद जांच एवं अपीलीय मियाद अवधि के पश्चात् निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक्–पृथक् कायम करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17 माह जुलाई सन् 2020 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी चूरू
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
18/2020	दावा 53,88,188 RTA	13.02.2020	10.07.2020

हकीमखान पुत्र इनायतखान जाति मुसलमान कायमखानी उम्र 57 वर्ष निवासी वार्ड नं. 28, अगुणा मोहल्ला, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) मो.नं. – 8094640221

–वादी–

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील चूरू प्रतिनिधि भू–धारक राजस्थान सरकार, चूरू
2. (डिलीट) हल्का पटवारी पटवार क्षेत्र कस्बा चूरू तहसील चूरू
3. (डिलीट) मुन्शी खां पुत्र इनायत खान जाति मुसलमान कायमखानी उम्र 59 वर्ष निवासी वार्ड नं. 28, अगुणा मोहल्ला, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. इनायतखान पुत्र रहमतखान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 28, अगुणा मोहल्ला, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मोबीनाबानो पुत्री भंवरूखां
6. रोशनीबानो पुत्री भंवरूखां
7. सुभानखां पुत्र भंवरूखां
8. सरवरबानो पुत्री भंवरूखां
9. हलीमा पत्नी भंवरूखां

(5 से 9) जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए.

उपस्थित –
1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ वादी
2. अधिवक्ता श्री वेदपाल कस्वां प्रतिवादी सं. 3, 4
3. अधिवक्ता श्री जगदीश कस्वां प्रतिवादी सं. 5 से 9

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी ने दिनांक 11 जुलाई 2017 को बुधे खां, बाबू खां पुत्रगण फतूखां, नजी बेवाह फतूखां व ईस्माईलखां पुत्र भंवरूखां कौम मुसलमान कायमखानी निवासीगण ग्राम बीनासर तहसील व जिला चूरू से उनके संयुक्त कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2534/805 व 2535/805 जो कि इस भूमि में से 13/60 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र 13,43,000/– रू0 के बिल एवज खरीद किया व इससे पूर्व दिनांक 28 अक्टूबर 2016 को निजामुदीन, वाजिदखां, नवाबअलीखां, पन्नेखां पुत्रगण फतूखां व नजी बेवाह फतूखां, भंवरीबानो, मैनाबानो, बिस्मिल्लाह पुत्रियां फतूखां कौम मुसलमान कायमखानी निवासीगण बीनासर तहसील व जिला चूरू से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र कृषि भूमि खसरा नम्बर 2534/805 में से 7/20 हिस्सा 19,71,000/– रू0 की एवज में खरीद किया। यह कि कस्बा चूरू के पटवार हल्का क्षेत्र में अवस्थित कृषि भूमियां कदीमी खसरा नम्बर 805 नये खसरा नम्बरान 2534/805 व 2535/805 हमेशा से मौके पर मुश्तरका, शामलाती, संयुक्त कब्जे, काश्त के रूप में अविभाजित रहे हैं। इन खसरा नम्बरान का मौके

पर कभी कोई बंटवारा, डमार्केशन, विभाजन एवं पत्थरगढी/सीमांकन नहीं हुआ है। यह कि वादी अपने द्वारा खरीद की गई उक्त दोनों विकय पत्रों के अधीन की कृषि भूमियों के सम्बन्ध में मौके पर विभाजन करवाकर इन भूमियों को विकसित करने के लिए नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर इनमें बोरवेल, कुआं आदि निर्मित कर विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना चाहता है ताकि इन भूमियों को लगातार काश्त एवं सिंचाई के उपयोग के अलावा अन्य आवश्यक उपभोग व इस्तेमाल में लिया जा सके।

यह कि वादी द्वारा कई बार हल्का पटवारी व तहसीलदार चूरू से निवेदन कर मौके पर सीमांकन व विभाजन का आग्रह किया गया लिखित में 27 जनवरी 2020 में आवेदन प्रस्तुत किया गया। उसके बावजूद भी आज दिन तक इस सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त व वाजिब कार्यवाही मौके पर अमल में नहीं लाई गई है। जिसके कारण वादी को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि का मौके पर डीमार्केशन कर दिया जाता है तो वादी अपने हिस्से की सम्पत्ति को अच्छे रूप में विकसित कर इसका सदुपयोग कर सहता है। वादी के अलावा इस कृषि भूमि के खातेदारों के 20 बीघा यानि 5. 0586 हैक्टेयर क्षेत्र को सुनिश्चित कर मौके पर डीमार्केशन करवाया जाना निहायत आवश्यक है ताकि इस क्षेत्र में वादी अपने हिस्से की जमीन को भी डीमार्क करवाकर उसकी फेंसिंग, डॉल/खाई/तारबन्दी इत्यादि कर सुरक्षित कर सके। यह कि वादी द्वारा गत छः माह से लगातार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के यहां निवेदन व आवेदन किये जाने के बावजूद अभी तक कोई उचित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसके कारण वादी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

यह कि प्रतिवादी सं. 3 मुन्शी खां वादी के सगे बड़े भाई हैं जिनका वादी के द्वारा खरीद की गई सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा एवं अधिकार नहीं है। उसके बावजूद वह वादी को नुकसान पहुंचाने की बदनीयती व दुर्भावना से वादी से द्वेष रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर वादी की सम्पत्ति को अन्य लोगों को बाला बाला रूप से बिना अधिकार के फरोख्त करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी सं. 3 वादी की इस सम्पत्ति को फरोख्त करने में कामयाब हो जाता है तो वादी को इस कदर क्षति असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी बाद में क़िसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। इस कारण प्रतिवादी सं. 3 का मय उसके दीगर परिजन जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द एवं प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे वादी की उपरोक्त आराजियात् को किसी भी तरह से अन्तरित, हस्तान्तरित, खुर्द बुर्द एवं बेचान करने से हमेशा के लिए बाज रहे। यह कि वादी द्वारा 31 जनवरी 2020 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 को पुनः सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी द्वारा यह कहा गया कि आप इस सम्बन्ध में न्यायालय से आदेश करवाकर लाओ उसके बाद हम मौके पर जाकर बंटवारा व सीमांकन की कार्यवाही करेंगे। इस सम्बन्ध में न्यायालय का आदेश मिलने के बाद ही कोई प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है।

वादकारणः— यह कि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दिनांक 31.01.2020 को वादी को स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि आप अदालत से कार्यवाही करो उसके बाद ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर मौके पर विभाजन, सीमांकन की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। इसके

बगैर कोई कार्यवाही नहीं होगी। प्रतिवादी सं. 3 मुन्शीखां वादी की उपरोक्त सम्पत्तियों को खुर्द बुर्द करने की धमकियां पिछले एक सप्ताह से लगातार दे रहा है व बिना अधिकार वादी की सम्पत्ति को बेचने पर आमादा है। इस कारण वादी माननीय न्यायालय के समक्ष अपने हितार्थ एवं सम्पत्ति की सुरक्षार्थ यह दावा बिनाए दावा/वाद कारण हासिल होने पर प्रस्तुत कर रहा है। यह कि प्रतिवादीगण राजस्थान राज्य व उसके लोक सेवक हैं जो राज्य सरकार भूमि धारक का प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे मामले में पक्षकार बनाया गया है। वादी द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध किसी तरह का कोई अनुतोष नहीं चाहा है बल्कि अपने द्वारा खरीदशुदा संयुक्त सम्पत्ति का मौके पर विभाजन चाहा है जिसके सम्बन्ध में धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी के प्रावधानानुसार माननीय न्यायालय से अनुमति चाहने का आवेदन पृथक् से प्रस्तुत कर यह दावा नियमानुसार सादर प्रस्तुत है। यह कि बिनाए दावा दिनांक 31.01.2020 को प्रतिवादी सं. 2 द्वारा मौके पर विभाजन/सीमांकन, डीमार्केशन करने की कार्यवाही से इन्कार करने पर अन्दर हुदुद अदालतवाला पैदा होकर यह दावा लाना लाजिम आया है।

यह कि वादी चूरू का स्थाई निवासी है एवं प्रतिवादीगण के कार्यालय भी चूरू शहर में वाके है तथा वादग्रस्त कृषि भूमियां भी कस्बा चूरू में अवस्थित है एवं वाद कारण भी यहीं पैदा हुआ है। इस कारण माननीय न्यायालय को यह मुकदमा सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार हासिल है। यह कि दावा हाजा 8/- रू0 की कोर्ट फीस स्टाम्प पर सादर प्रस्तुत है। यह कि दावा वादी भारतीय मियाद अधिनियिम के प्रावधानानुसार अन्द मियाद सादर प्रस्तुत है। यह कि दावा वादी जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत दो मूल प्रतियों में नियमानुसार पेश है।

<u>सहायताऐं:–</u>

(क) कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर विवादग्रस्त कृषि भूमियों का मौके पर विभाजन एवं डीमार्केशन किया जाकर 20 बीघा (5.0586 हैक्टेयर) की जमीन का सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाई जाकर इसमें से वादी के हिस्से की खरीदशुदा जमीन की तारबन्दी, बाड़, डॉल/फेंसिंग इत्यादि की वादी के खर्चे पर किये जाने की उद्घोषणा एवं आदेश पारित फरमाया जावे।

(ख) कि प्रतिवादी सं. 3 को मय उसके परिजन, नौकर इत्यादि को स्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द एवं प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वह विवादग्रस्त कृषि भूमियों को खुर्द बुर्द करने, इन्हें किसी को भी हस्तान्तरित करने का सौदा व करार करने, इन पर किसी भी तरह का कोई ऋण किसी भी संस्था व व्यक्ति से प्राप्त करने से बाज रहे।

(ग) कि इस मुकदमे का समस्त खर्चा वादी को प्रतिवादीगण सं. 3 से दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य न्यायोचित सहायताऐं जो माननीय न्यायालय की नजर में उचित व मुनासिब हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 से 9 की ओर से श्री जगदीश कस्वां एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। आगामी तारीख पेशी पर वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 3, 4

की ओर से श्री वेदपाल कस्वां एडवोकेट ने वकालतनामे पेश किये तथा प्रतिवादी सं. 5 से 9 की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं कर अंकित किया कि वादी के दावा पर कोई आपत्ति नहीं है, प्रतिवादी सं. 4 का भी खाता विभाजन कर दिया जावे। हम पृथक् से कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते।

प्रतिवादी सं. 5 से 9 की ओर से पेश जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद संख्या 1 व 2 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, वादी स्वयं साबित करें। प्रतिवादी संख्या 5 से 9 को अपनी पैतृक कृषि भूमि पर पट्टियां रोपकर अपने हिस्से पर कब्जा है तथा पूर्वजों के समय से ही काश्त करते आ रहे हैं। यह कि दावा की मद सं. 3 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 5 से 9 को इसमें कोई लेना देना नहीं है। यह कि दावा की मद संख्या 4 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, वादी स्वयं साबित करे। यह कि दावा की मद सं. 5 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 5 से 9 को इसमें कोई लेना देना नहीं है। यह कि दावा की मद संख्या 6, 7 व 8 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, वादी स्वयं साबित करें। प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। यह कि दावा की मद संख्या 9 कानूनी होने से जवाबदावा की आवश्यकता नहीं है। यह कि दावा की मद संख्या 10 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 से 9 को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। यह कि दावा की मद संख्या 11 में प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नहीं होने से दावा खारिज फरमाया जावे। यह कि दावा की मद संख्या 12, 13, 14 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

प्रतिवादी सं. 5 से 9 ने जवाबदावा के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 5 से 9 का प्रत्येक का कृषि भूमि कस्बा चूरू की खसरा संख्या 2534/805 में से 1/60 हैक्टेयर 0.0843 हिस्सा है, जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 ने अपने हिस्से की कब्जा काश्त कृषि भूमि पर पट्टियां रोपकर पूर्वजों के समय से ही कब्जा कब्जा, काश्त करते आ रहे हैं तथा पट्टियों पर प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 के नाम, पते व मोबाईल नम्बर लिखे हुए हैं अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 का कुल तादादी 0.4215 हैक्टेयर पर सभी प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 का कब्जा काश्त है। हमारे कब्जाशुदा खेत के पश्चिम दिशा में पक्की सड़क आम है। प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 को इस दावा में गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद कारण नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 के विरूद्ध दावा खारिज फरमाया जावे। यह कि दावा की मद संख्या 15 में प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 के विरूद्ध यह दावा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 के विरूद्ध पेश दावा मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी ने अंकित किया कि प्रतिवादी सं. 2 व 3 के खिलाफ हमें कोई अनुतोष नहीं चाहिए इसलिए दावा से प्रतिवादी सं. 2 व 3 का हटाया जावे। पत्रावली व पेश दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे प्रतिवादी सं. 2 व 3 वादगत कृषि भूमि के हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से प्रतिवादी सं. 2 व 3 का नाम दावा से डिलीट करने का आदेश दिया गया। वादी ने अपना शपथ पत्र भी पेश किया। वकील प्रतिवादी सं. 5 से 9 ने अंकित किया कि हमारा भी मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर खाता विभाजन किया जावे। दावा पर कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन पर कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रतिवादी सं. 3 ने कथन किया कि हमें दावा पर कोई आपत्ति नहीं है, हमारा भी खाता विभाजन कर दिया जावे। जिस पर वकील वादी ने कथन किया कि यदि प्रतिवादी सं. 4 से 9 का भी खाता विभाजन किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी को साक्ष्यवादी पेश करने हेतु निर्देश दिया गया जिस पर वकील वादी ने निवेदन किया कि दावा में प्रतिवादीगण को वादी के दावा पर कोई आपत्ति नहीं है तथा मात्र खाता विभाजन का है इसलिए दावा में प्रस्तुत दस्तावेजात् को ही साक्ष्य माना जाकर सीधे बहस सुनी जावे, जिस पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील वादी बहस में जाहिर किया कि दावा खाता विभाजन का है। वादगत कृषि भूमि के सह खातेदार वादी व प्रतिवादी सं. 4 से 9 अपने खातेदारी में दर्ज हिस्से अनुसार कृषि भूमि मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा मौके पर कब्जा काश्त व रिकार्ड के आधार पर खाता विभाजन करवाने में सहमत हैं। हमें भी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त के आधार पर खाता विभाजन में कोई आपत्ति नहीं है। अतः दावा में निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, चूरू से पक्षकारों के मौके पर कब्जा काश्त एवं दर्ज रिकार्ड के अनुसार पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मंगवाये जावें। वकील प्रतिवादी सं. 4 ने कथन किया कि वादी का दावा स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रतिवादी सं. 4 का भी खाता विभाजन किया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 5 से 9 ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 4 अपने–अपने हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते हैं जिस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा भी खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार कर दिया जावे।

वकील उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा खाता विभाजन एवं सीमा ज्ञान व पत्थरगढी का है जिसमें मौके पर कब्जा काश्त व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खाता विभाजन करवाने में वादी व प्रतिवादी सं. 4 से 9 सहमत हैं। पत्रावली पर पेश दस्तावेज छाया प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2020 जो वादगत कृषि भूमि के विभाजन, सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने के लिए वादी ने तहसीलदार, चूरू को प्रस्तुत किया है। छाया प्रति बैनामा दिनांक 28.07.2015 व 11.07.2017 के अवलोकन से जाहिर है कि वादगत कृषि भूमि में वादी का 17/30 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र खरीदशुदा एवं खातेदारी का है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 ग्राम कस्बा चूरू के ख.नं. 2534/805 तादादी 5.0586 हैक्टेयर में वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 संयुक्त खातेदार अंकित हैं जिसमें वादी का 17/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 7/20 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 5 से 9 प्रत्येक का 1/60 – 1/60 हिस्सा का खातेदारी का है। जमाबन्दी के

अवलोकन से परिलक्षित है कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। वादी ने दावा में अपने खातेदारी हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहा है। प्रतिवादी सं. 4 से 9 ने भी अपने खातेदारी के हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा है जिस पर वादी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं. 5 से 9 ने अपने जवाबदावा में अपनी हद तक दावा खारिज करने की मांग की थी परन्तु तनकियात् कायम की जाने के समय उनके अधिवक्ता ने दावा पर कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया है। दावा के पक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने–अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने में सहमत हैं। वादी ने अपने दावा में खाता विभाजन के साथ–साथ प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा तथा सीमांकन एवं पत्थरगढी का भी अनुतोष चाहा है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादी सं. 3 वादगत कृषि भूमि में सह खातेदार एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने तथा प्रतिवादी सं. 2 हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से उनके नाम दावा से डिलीट किये जा चुके हैं। इसलिए प्रतिवादी सं. 3 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक सीमांकन एवं पत्थरगढी का प्रश्न है तो उक्त अनुतोष इस दावा के निर्णय से नहीं दिया जाकर खाता विभाजन के पश्चात् पृथक् से ही दिया जाना सम्भव है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उसने सशपथ बयान किया है कि वादगत कृषि भूमि किसी वित्तीय संस्था के रहन नहीं है, कोई रकबा राज प्रभावित नहीं होता, उक्त भूमि से सम्बन्धित कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। वादगत कृषि भूमि वादी की खरीदशुदा व खातेदारी की भूमि है। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 4 से 9 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि होने एवं खाता विभाजन में वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने से दावा वादी आंशिक स्वीकार करने योग्य है।

<u>निर्णय</u>

अतः वादी द्वारा पेश दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. का वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा ख.नं. 2534/805 तादादी 5.0586 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू में से वादी, प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 से 9 के खातेदारी हिस्सों की कृषि भूमि का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के आधार करके वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू डिकी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें। साथ ही तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारों के आवागमन हेतु रास्ता का प्रस्ताव भी विभाजन प्रस्ताव में शामिल किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

प्रारम्भिक डिक्रीं व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

हकीमखान पुत्र इनायतखान जाति मुसलमान कायमखानी उम्र 57 वर्ष निवासी वार्ड नं. 28, अगुणा मोहल्ला, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) मो.नं. – 8094640221

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. तहसीलदार, तहसील चूरू प्रतिनिधि भू–धारक राजस्थान सरकार, चूरू
2. (डिलीट) हल्का पटवारी पटवार क्षेत्र कस्बा चूरू तहसील चूरू
3. (डिलीट) मुन्शी खां पुत्र इनायत खान जाति मुसलमान कायमखानी उम्र 59 वर्ष निवासी वार्ड नं. 28, अगुणा मोहल्ला, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. इनायतखान पुत्र रहमतखान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 28, अगुणा मोहल्ला, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मोबीनाबानो पुत्री भंवरूखां
6. रोशनीबानो पुत्री भंवरूखां
7. सुभानखां पुत्र भंवरूखां
8. सरवरबानो पुत्री भंवरूखां
9. हलीमा पत्नी भंवरूखां

(5 से 9) जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 472 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री जगदीश कस्वां व श्री वेदपाल कस्वां एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा पेश दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. का वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा ख.नं. 2534 / 805 तादादी 5.0586 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू में से वादी, प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 से 9 के खातेदारी हिस्सों की कृषि भूमि का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के आधार करके वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू डिकी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें। साथ ही तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारों के आवागमन हेतु रास्ता का प्रस्ताव भी विभाजन प्रस्ताव में शामिल किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 10 माह जुलाई सन् 2020 को जारी की गई।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू